संख्या- 193/2016/1554/22-4-16-48(103)/15

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक- 20 दिसम्बर, 2016**

विषय-जिला कारागार, लखनऊ के लिए 01 नग ट्रैक्टर एवं कल्टीवेटर के क्रय हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-41238/कृषि-2/115/2010, दिनांक-18.11.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, लखनऊ के लिए 40 हार्सपावर का 01 नग महिन्द्रा ट्रैक्टर (माडल 415 डी0आई0) एवं कल्टीवेटर क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 5,70,000/-(रूपया पॉच लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रस्ताव में अंकित ट्रैक्टर का क्रय, भण्डार क्रय नियमों एवं संगत नियमों/शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा और इसका दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(2) निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 21.06.2010 द्वारा प्रतिनिधानित शर्तों/प्रतिबंधो का अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसी पर व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे यथासमय समर्पित कर दी जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक- "2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र" मद में नई मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-193/2015/1554(1)/22-4-2016-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।